:p>

Title: Need to promote the use of Hindi in official work.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): देश में आजादी के समय एक संकल्प लिया गया था कि अगले 15 वर्षो के अंदर राजकीय कार्यो में अंग्रेजी का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जायेगा। उसके बाद राजभाषा अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम के अंतर्गत कई नियम और उपनियम बनाये गये जिनका पालन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि देश के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय में इस अधिनयम का पालन सही अर्थो में कराया जाए। मैं विभिन्न मंत्रालयों खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय, ग़ृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, मानव संसाधान, कानून मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग की हिन्दी में हो रही कार्य प्रगति से अवगत होना चाहता हूं।